न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या—24/2010—2011

एस0जे0पी0ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल

बनाम सरकार

धारा 161 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा सतोहा असगरपुर

निर्णय

प्रार्थी एस0जे0पी0ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी, मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दिनांक—18.5.2010 में अंकित किया गया है कि वह मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—362 खसरा संख्या— 521 रकवा 0.367हे. व खाता संख्या—233 खसरा संख्या 523मि. रकवा 0.093हे. के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है। मौजा सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकवा 0.352हे., खसरा संख्या 74/1089 रकवा 0.081हे. तथा खसरा संख्या 772 रकवा 0.008हे. कुल 0.441हे. बंजर दर्ज कागजात है। ग्राम सभा की उक्त भूमि कम्पनी द्वारा विकसित हेतु प्रस्तावित भूमि की बाउन्ड्रीवाल करने पर उसके अन्दर आने के फलस्वरुप वादी प्रतिवादी के मध्य वर्णित भूमि का विनियम होना आवश्यक है। उक्त भूमि के आसपास के काफी बडे भू—भाग पर एस0जे0पी0 ग्लोबल मिमिटेड कम्पनी के द्वारा निकट भविष्य में आवासीय कालौनी विकसित करने हेतु प्रस्तावित है। वादी उक्त कम्पनी में साझीदार है तथा कम्पनी की ओर से समस्त अधिकार प्राप्त है। विनमय हेतु प्रस्तावित वादी—प्रतिवादी की भूमि में किस्म जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। विनियम स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तावित विनिमय से ग्राम सभा को कोई क्षति नही है, क्योंकि विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी की भूमि के बदले ग्राम सभा को अधिक रकवा प्राप्त होगा। अतः विनिमय स्वीकार किया जाय।

उक्त प्रार्थना—पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा जॉचकर संस्तुति आख्या दिनांक—27.11 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि वादी मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—362 खसरा संख्या— 521 रकवा 0.367हे. व खाता संख्या—233 खसरा संख्या 523मि. रकवा 0.093हे. के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है। मौजा सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकवा 0.352हे., खसरा संख्या 74/1089 रकवा 0.081हे. तथा खसरा संख्या 772 रकवा 0.008हे. कुल 0.441हे. बंजर दर्ज कागजात है। गांव सभा की उक्त भूमि आवासीय कालौनी की बाउन्ड्रीवाल के अन्दर आने के कारण वादी उक्त भूमि का विनिमय उक्त गांव सभा की भूमि से करना चाहता है। दोनो भूमियों की मालियत में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नही है। गांव सभा को अधिक भूमि मिल रही है, जिससे गांव सभा को कोई क्षति नहीं हो रही है। इस प्रकार विनिमय स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा विनिमय स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई है।

विनियम हेतु भूमि प्रबन्धक समिति सतोहा असगरपुर की बैठक दिनांक—5.6.2011 के अन्तर्गत सवसम्मति से विनियम प्रस्ताव पारित किया गया है।

पक्षों को सूचना पत्र जारी किया गया। ग्राम प्रधान श्री वीरीसिंह पुत्र हीरा सिंह द्वारा दर्ज कराये गये सशपथ बयान दिनांक— 29.7.2011 में प्रस्ताव दिनांक— 5.6.2011 की पुष्टि करते हुए बयान अंकित कराया कि कि ग्राम सभा को उक्त विनिमय में 0.019हे. रकवा अधिक मिल रहा है जो जनहित में है तथा गांव सभा को लाभकारी है। भूमि प्रबन्धक समिति एवं किसी ग्रामवासी को इस विनिमय से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगन्नाथ भारद्वाज लेखपाल क्षेत्र सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा ने अपने सशपथ दर्ज कराये गये बयान दिनांक— 29.7.2011 में अंकित कराया है कि वादी मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—362 खसरा संख्या— 521 रकवा 0.367हे. व खाता संख्या 233 खसरा संख्या 523मि. रकवा 0.093हे. के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है। मौजा सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकवा 0.352हे., खसरा संख्या 74/1089 रकवा 0.081हे. तथा खसरा संख्या 772 रकवा 0.008हे. कुल 0.441हे. बंजर दर्ज कागजात है। गांव सभा की उक्त भूमि आवासीय कालौनी की बाउन्ड्रीवाल के अन्दर आने के कारण वादी उक्त भूमि का विनिमय उक्त गांव सभा की भूमि से करना चाहता है। दोनो भूमियों की मालियत में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नही है। गांव सभा को अधिक भूमि मिल रही है, जिससे गांव सभा को

कोई क्षति नहीं हो रही है। इस प्रकार विनिमय स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया। उक्त विनिमय हेतु प्रस्ताव दिनांक 5.6.2011 को भू0प्र0स0 द्वारा पारित किया गया। प्रस्तावित विनिमय के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के सशपथ बयान दिनांक 29.7.2011, तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक 2.7.11 तुलनात्मक नक्शा मालियत से विदित है कि उक्त विनियम वादी द्वारा विकसित की जा रही कालौनी के अन्दर गांव सभा भूमि आने के कारण किया जा रहा है। गांव सभा को उक्त विनियम में अधिक भूमि प्राप्त हो रही है, जिससे गांव सभा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अपितु गांव सभा को लाभ हो रहा है। प्रस्तावित विनिमय में किस्म जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। उक्त विनियम के संबंध में पत्रावली पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त विनिमय स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्द्वारा वादी की मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 521 रकबा 0.367हे. व खसरा संख्या 523मि. रकबा 0.093हे. कुल 2 किता रकबा 0.460हे का मौजा सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.352हे. खसरा संख्या 74/1089 रकबा 0.081हे. तथा खसरा संख्या 772 रकबा 0.008हे. कुल 0.441हे. से विनियम करने हेतु भू0प0स0 द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक–5.6.2011 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 2.7.11 आदेश का अंग रहेगी। तदनुसार अभिलेखों में इन्द्राज किया जाय। इस आदेश की प्रति तहसीलदार, मथुरा को तदनुसार अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे ।

25/09/11

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अभिलेखो में इन्द्राज कराकर एक प्रति न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय ।

25/09/11

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार, उपजिलाधिकारी
मथुरा
27/9/2011

Rs.2 Rs.2 Rs.1 Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.2
INDIA TWO RUPEES

उपजिलाधिकारी, मथुरा

द्वारा तहसीलदार/ रा0 निरीक्षक

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा वाद संख्या 28 सन् 2011 एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल बनाम ग्राम सभा मौजा सतोहा असगरपुर तह0 मथुरा अंतर्गत धारा 161 ज0वि0अ0 दिनांक 18.05.11 पर पारित आदेश के अनुपालन में जॉचोंपरांत आख्या निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थी/वादी द्वारा ग्राम सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि के गाटा सं0 32 रकवा 0.352है0, 74/1089 रकवा 0.081, 772 रकवा 0.008 है0 बंजर भूमि का विनिमय अपनी संक्रमणीय भूमि के गाटा सं0 521 रकवा-- 367, 523मि0 रकवा 0.093 है0 से इस आधार पर किये जाने की अपेक्षा की गई है कि वादी एवं उसके सहभागीदारों द्वारा एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 कम्पनी के नाम से ग्राम – नगला सदोला तथा ग्राम सतोहा असगरपुर के काफी बड़े भू--भाग को मिलाकर आवासीय कालोनी विकसित हेतु प्रस्तावित है ग्राम सभा की उक्त भूमि आवासीय कालोनी की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर आती है, जिसके कारण कालोनी के विकास में बाधा उत्पन्न होगी तथा प्रस्तावित विनिमय द्वारा ही उक्त समस्या का समाधान संभंव हो सकेगा।
2. प्रस्तर 1 में वर्णित समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित विनिमय के सम्बन्ध में भूमि प्रबंधक समिति ने अपनी बैठक दिनांक 05.06.11 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से निम्न भूमि ब्यौरे के अनुसार विनिमय प्रस्ताव पारित किया गया है।

वादीगण की भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्राम सभा को प्राप्त होगा					ग्राम सभा भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त वादीगण को प्राप्त होगा				
खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकवा है0 में	नौइयत	खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकवा है0 में	नौइयत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालोनी, मथुरा	521	0.367	सं0 भू0	593	ग्राम सभा	32	0.352	बंजर
233	एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालोनी, मथुरा	523मि.	0.093	सं0 भू0	593	ग्राम सभा	74/1089 772	0.081 0.008	बंजर बंजर
	कुल योग --	2 किता	0.460				3 किता	0.441	

Bhardwaj
17/06/11

3. यह कि प्रस्तावित विनिमय से ग्राम सभा को कोई क्षति नहीं है तथा विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्राम सभा को 0.441 है0 के स्थान पर 0.460 है0 रकवा प्राप्त होगा। अर्थात प्रस्तावित विनिमय ग्राम सभा / जनहित में लाभकारी है।

4. यह कि प्रस्तावित विनिमय में किस्म जमीन के अनुसार वादी प्रतिवादी की भूमि में मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। अवलोकनार्थ तुलनात्मक नक्शा मालियत संलग्न है।

5. यह कि प्रस्तावित विनिमय स्वीकार किये जाने के क्रम में वांछित अभिलेख के रूप में नक्शा अक्स, तुलनात्मक नक्शा मालियत, नक्शा खतौनी, प्रस्ताव भू0प्र0स0 / एजेन्डा, मुनादी की प्रमाणित प्रति साथ में संलग्न है।

उपरोक्त आधार पर प्रस्तावित विनिमय स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः स्वीकृति हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

दिनांक 17-06-11

Bhardwaj 17/06/11

(सचिव / लेखपाल)
भू0प्र0 समिति
सतोहा असगरपुर

तहसीलदार मथुरा

महोदय,
लेखपाल आख्या से सहमत। प्रस्तावित विनिमय स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

रा०नि० मथुरा
24/6/11

उपजिलाधिकारी,
मथुरा (सदर)

महोदय,

भूमिप्रबन्धक समिति सतोहा असगरपुर ने अपने प्रस्ताव दिनांक 05/6/11 में लेखपाल आख्या में अंकित ग्राम सभा की भूमि का [illegible] द्वारा साझीदार राम [illegible] की भूमि से विनिमय किए जाने का प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव [illegible] राजस्व निरीक्षक व लेखपाल से कराई गयी। जिन्होंने प्रस्ताव [illegible] की सही बताया है [illegible] ग्राम सभा की भूमि [illegible] द्वारा साझीदार राम [illegible] की भूमि को [illegible] विनिमय किये जाने से ग्राम सभा को कोई आर्थिक हानि नहीं होती है। विनिमय का प्रस्ताव नियमानुसार स्वीकृत किए जाने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है। कृपया [illegible] उचित निर्णय लेना चाहें। खातेदार की भूमि [illegible]

पत्री खातेदार [illegible] Nodues प्रस्तुत [illegible]

21/7/11
तह० मथुरा

तुलनात्मक नक्शा मालियत वादसं.   बनाम ग्राम सभा   मौजा सतोहाआसफपुर तह० जि० मथुरा

अन्तर्गत धारा 161 ज०वि०अ०, न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा.

वादी/काश्तकार की भूमि का विवरण:									प्रतिवादी/ग्राम सभा भूमि का विवरण								वादी भूमि की अपेक्षा	विशेष
क्रमांक	खाता खतौनी सं०	खातेदार का नाम/वल्दियत निवास स्थान	खसरा संख्या	रकबा (हे०में)	नोइयत	किस्म जमीन	सर्किल रेट प्रति हे० रुपयों में	मालियत रुपयों में	खाता सं०	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हे०में)	नोइयत	किस्म जमीन	सर्किल रेट प्रति हे० (रुपयों में)	मालियत रुपयों में	मालियत का उत्तर अधिक रुपयों में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	362	एस०जे०पी० ग्लोबल लि० द्वारा साझीदार राम अग्रवाल नि० जमुनाधाम कालोनी-मथुरा।	521	0-367	सं०भू०	ब०अ०तो०	17-65	6-48	593	ग्राम सभा	32	0-352	बंजर	बा०अ०तो०	17-65	6-21	10% से कम	ग्रामसभा हित में किस्म जमीन कृषक की भूमि के अनुसार
2.	233	एस.जे.पी. ग्लोबल लि० द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि० जमुनाधाम कालोनी मथुरा।	523मि०	0-093	सं०भू०	ब०अ०तो०	17-65	1-64			74/1089	0-081	बंजर	ब०अ०तो०	17-65	1-43	10% से कम	
											772	0-008	बंजर	बं०ड०खा०	8-15	0-07	"	
											—	—						
											—	—						
											2 किता	0-089	—	—	—	1-50	"	

Chandwali
12/06/11

(मुहर: ग्राम ... प्रधान)

न्यायालय उपजिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 28 / सन् 2011

एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल निवासी 111, जमुनाधाम कालोनी, मथुरा

बनाम

ग्राम सभा द्वारा अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति

मौजा सतोहा असगरपुर

तहसील व जिला मथुरा

अन्तर्गत– धारा 161 ज0वि0एवं

भूमि व्यवस्था अधिनियम।

तहसीलदार सदर
कृ० जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु
आख्या दें।
SDM MOR
18/5/11

महोदय,

प्रार्थी/वादीगण का उपरोक्त के सम्बन्ध में निवेदन निम्न प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थी/वादी ग्राम सतोहा असगरपुर स्थित खतौनी खाता संख्या 362 खसरा नं. 521 रकवा 0.367 है0 तथा खतौनी खाता संख्या 233 खसरा नं. 523 रकवा 0.367 है0 का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है तथा मौके पर काबिज व दखील है।

यह कि ग्राम सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि के खसरा नं. 32 रकवा 0.352 है0 खसरा नं. 74/1089 रकवा 0.081 है0 तथा खसरा नं. 772 रकवा 0.008 है0, कुल रकवा 0.441 है0, बंजर दर्ज कागजात है। ग्राम सभा की उक्त भूमि के आस–पास के काफी बड़े भूभाग पर एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड कम्पनी के द्वारा निकट भविष्य में आवासीय कालौनी विकसित हेतु प्रस्तावित है। वादी उक्त कम्पनी में साझीदार है तथा कम्पनी की ओर से समस्त अधिकार प्राप्त है।

ग्राम सभा की उक्त भूमि कम्पनी द्वारा विकसित हेतु प्रस्तावित भूमि की बाउन्ड्रीवाल करने पर उसके अन्दर आने के फलस्वरूप वादी प्रतिवादी के मध्य वर्णित भूमि का विनिमय होना आवश्यक हो गया है।

राजस्व निरीक्षक मथुरा
कृ० S.D.M. के आदेश के साथ आख्या दें।
तहसीलदार मथुरा

लेखपाल सतोहा
कृ० भूमि प्रबंधक समिति प्रस्ताव के साथ आख्या दें।
23/5/11

......2–

3. यह कि वादी–प्रतिवादी कीं पारस्परिक सहमति से विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण की भूमि का का ब्यौरा (जो विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्रामसभा/प्रतिवादी को प्राप्त होगा				ग्राम सभा भूमि ब्यौरा (जो विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी को प्राप्त होगा			
खाता सं.	खसरा सं.	रकवा है0	नौइयत .	खाता सं.	खसरा सं.	रकवा है0	नौइयत
362	521	0.367	सं0भू0	593	32	0.352	बंजर
233	523मि.	0.093	सं0भू0	593	74/1089	0.081	बंजर
					772	0.008	बंजर
योग	1 किता	0.093			2 किता	0.089	

4. यह कि विनिमय हेतु प्रस्तावित वादी–प्रतिवादी की भूमि में किस्म जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है विनिमय स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

5. यह कि प्रस्तावित विनिमय से ग्राम सभा को कोई क्षति नहीं है क्योंकि विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी की भूमि के बदले ग्राम सभा को अधिक रकवा प्राप्त होगा।

अतः महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत है कि अध्यक्ष/सचिव भू0 प्र0 समिति को आदेशित किया जाये कि भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक बुलाकर विनिमय प्रस्ताव पारित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें तत्पश्चात् विनिमय स्वीकार किये जाने के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

प्रार्थी/वादीगण

दिनांक– 10/5/11

(एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0)

द्वारा राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल

निवासी 111, जमुनाधाम कालोनी, मथुरा